



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2026/D-310

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 286845 दिनांक 11/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Re-Validation in issued Lease Deed(After 3 Years) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kanti Kumar Jain S/o Ladulal Jain एवं SULOCHAN A JAIN D/o Gulab Chand Sethi एवं Rajesh Kumar Jain S/o Ajit Kumar Jain एवं ASHISH KUMAR JAIN S/o Ajit Kumar Jain एवं SEEMA JAIN W/o Kailash Jain	श्री अजित कुमार जैन एवं श्री कांति कुमार जैन	35	135.00 SQ. YARD	Private	GREEN VALLEY	Re-Validation in issued Lease Deed (After 3 Years)	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Re-Validation in issued Lease Deed(After 3 Years) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Kanti Kumar Jain S/o Ladulal Jain एवं SULOCHANA JAIN D/o Gulab Chand Sethi एवं Rajesh Kumar Jain S/o Ajit Kumar Jain एवं ASHISH KUMAR JAIN S/o Ajit Kumar Jain एवं SEEMA JAIN W/o Kailash Jain को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |